P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-9*(Part-1) December 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत के नव–निर्माण में ''पंचायती राज''

अर्चना शर्मा
व्याख्याता,
अर्थशास्त्र विभाग,
कमला महाविद्यालय,
धौलपुर, राजस्थान

सारांश

भारत गॉवो का देश है, उसकी अधिकांश जनसंख्या गॉवों में रहती है। गॉवों की प्रगति तथा विकास पर ही भारत का सामाजिक एवं आर्थिक विकास निर्भर है। गॉधी जी ने ठीक ही कहा था कि ''यदि गॉव नष्ट होते है तो भारत नष्ट हो जाएगा।''

भारत में ग्राम पंचायतो का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में आपसी मतभेद एवं झगड़ों का फैसला पंचायते ही किया करती थी। परन्तु अंग्रेजों के शासन काल में ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान की ओर ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय संस्थाओ को केवल राजस्व इकट्ठा करने का साधन समझा गया जिससे पंचायतें धीरे–धीरे समाप्त हो गयी और सभी कार्य प्रांतीय सरकारे करने लगी। लेकिन पंचायती राज के बिना ग्राम विकास और ग्राम विकास के बिना राष्ट्र विकास असंभव था। जिसके लिये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ की शुरुआत स्वतंत्रता के पश्चात् की गई। जिनमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर– पंचायत समिति, जिला स्तर पर– जिला परिषद तथा इनमे परस्पर सहयोग व समन्वय से ग्राम विकास उद्देश्य को पूरा करने के प्रयास किये गये। प्राचीन काल से वर्तमान तक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता के पीछे पंचायती राज की अहम भूमिका है।

मुख्य शब्द : पंचायती राज, नव–निर्माण।

प्रस्तावना

ग्राम विकास के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और पंचायती राज व्यवस्था में जो विचारधारा निहित थी वह यह कि गॉवो के लोग न केवल कार्यक्रम के कियान्वयन में ही भाग ले, बल्कि उन्हे यह अधिकार भी होना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओ और अनिवार्यताओ के विषय में स्वयं ही निर्माण की शक्ति प्रदान करें। लोग अपने चुने हुये प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय नीतियो का निर्धारण करे और जनता की वास्तविक आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुये उनके अनुसार ही अपने कार्यक्रमों को लागू करें। जिससे देश में एक सच्चे एवं मजबूत लोकतंत्र की स्थापना की जा सकें।

इस प्रकार पंचायती राज की अवधारणा का विकास ग्रामीण जन का सहयोग प्राप्त करने तथा सामुदायिक कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हुआ। सन् 1957 में बलवन्त राय मेहता अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में पंचायती राज का लक्ष्य प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया। साथ ही ग्रामीण पुर्ननिर्माण की विभिन्न योजनाओ का सफलता पूर्वक संचालन करने हेतु पंचायती राज की स्थापना करने पर बल दिया। इस प्रकार आर्य सभ्यता से वर्तमान समय तक पंचायती राज व्यवस्था की विकास यात्रा में कई नवनिर्माण तथा साथ ही ग्रामीण आर्थिक विकास भी हुआ है और हो रहा है।

साहित्यावलोकन

पंचायती राज व्यवस्था के इस शोध कार्य में प्रयुक्त की गयी सूचनाऐं उनके विश्लेषण पर निर्भर करती है। इस नवीन शोध कार्य की रुपरेखा का आयोजन करने से पहले सम्बन्धित विषय पर उपलब्ध शोध साहित्य का अवलोकन करना अतिआवश्यक होता है क्योंकि शोध साहित्य के अवलोकन से शोधकर्ता को इस बात की व्यापक और सही जानकारी मिलती है कि उसे शोध कार्य हेतु किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता है। इसलिये शोध कार्य हेतु साहित्य अवलोकन करना एक प्राथमिक आवश्यकता है।

इस अध्ययन में विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट, वेवसाइट पर जारी सूचनाओं के माध्यम से इससे सबंधिंत समंको को एकत्रित किया गया है। इसके अलावा यह अध्ययन विभिन्न शिक्षाविद के विचारों के आधार पर एकत्रित की गई सूचनाओं पर आधारित है।

इस संदर्भ में सिंह कुंवरपाल (2008) '' पंचायती राज को राष्ट्रीय स्वरुप देने की आवश्यकता'' कुरुक्षेत्र नई दिल्ली लेख में कहा है कि – '' पंचायती राज में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर बल दिया है। उन्होने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तथा पंथ निरपेक्ष राष्ट्रीय नीति के द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र को शिक्षित किये जाने की बात कही है। माध्यमिक शिक्षा के तीव्र प्रसार के लिये सरकारी, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रो में अधिकतम सहयोग तथा समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है।''

डॉ. सरयूप्रसाद चौबे ने कहा है कि –''आर्यो के भारत में आने से पूर्व यहां ग्राम–राज्य तथा ग्राम पंचायत का पूर्ण विकास हो गया था। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती थी जिसमें एक मुखिया तथा अन्य प्रतिनिधि सदस्य होते थे। आर्यो के आगमन के पश्चात् भारत वर्ष में जाति व्यवस्था का पूर्ण विकास हुआ और को शासन की प्राथमिक इकाई के रुप में स्वीकार किया गया जिससे सामाजिक व्यवस्था का आगमन हुआ।''

डॉ. कटरिया सुरेन्द्र (2008) ''भारत निर्माण में पंचायती राज की भूमिका कुरुक्षेत्र नई दिल्ली अपने लेख में यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्रामीण विकास की राह में पंचायती राज को सशक्त माध्यम माना जाता है लेकिन गॉवो में पनप रही राजनीतिक गुटबाजियों तथा संकीर्ण प्रवृतियों ने विकास कार्यक्रमों की सफलता को संदिग्ध बना दिया है।''

डॉ. मिश्रा एय. के. (2008) ''ग्रामीण विकास की धुरी है पंचायती राज'' कुरुक्षेत्र नई दिल्ली। मैं निष्कर्ष निकाला है कि ''ग्रामीण क्षेत्रो में व्याप्त भय, अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि का उन्मूलन कर लोगों को अधिकारों के प्रति जागरुक किया जाय। ग्रामीण जनों की जन भागीदारी इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण हो सकती है। समाज के सभी वर्गो का सकारात्मक सहयोग, पंचायती राज की सफलता के लिये रामवाण सिद्ध हो सकता है।''

वेणुगोपाल जी तथा अन्नामलाई व्ही (2003) ''रिलेशनशिप विटविन पंचायती राज एण्ड कम्यूनिटि वेस्ड आग्रेनाइजेशन'' इम्पोज ऑफ कन्वर्जेशन जर्नल ऑफ रुरल डेव्लपमेंट, वॉल्यूम 22 (4) प्र. 455–486 एन आई आर डी, हैदराबाद। शोधकर्ताओं ने पंचायती राज संस्थाओ तथा समुदायगत संगठन के मध्य पाये जाने वाले संबंधो का अध्ययनकिया जिसमें उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ''बहुत सी पंचायते स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक हुए है जबकि बहुत सी पंचायतें इसमें सफल नहीं हुए। साथ ही गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी ग्रामों का सामाजिक–आर्थिक विकास करने में सहायता मिली है। इन्होने ये सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर ग्राम समिति को कियाशील बनाया जाय, जिसमें कि पंचायतों में निहित नैतिक कर्त्तव्यों का कियान्वयन हो सकें।''

दरसानकार, ए.आर (1979) ''लीडरशिप इन पंचायती राज'' पंचशील प्रकाशन जयपुर। ने पंचायतों में नेतृत्व संबंधी अध्ययन किया है। महाराष्ट्र के एक जिले की तीनों स्तरों की पंचायत संस्थाओ के नेतृत्व के अध्ययन के माध्यम से बताया है कि शहरी क्षेत्रों में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण की प्रक्रिया के कारण जाति व्यवस्था का प्रभाव कम हुआ है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इन संस्थाओं में अभी भी इस तत्व की प्रभावशाली भूमिका रहती है।''

भार्गव वी.एस. (1979) '' पंचायती राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज'' आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली। ने स्थानीय नेतृत्व संबंधी अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि '' पंचायत संस्थाओं के प्रमुख नेताओं एवं उच्च स्तर के नेतृत्व के बीच नए प्रकार के राजनीतिक संबंध विकसित हुए है जिसके तहत पंचायत स्तर का नेतृत्व के लिए वोट बैंक के रुप में उपयोगी सिद्ध हुआ है एवं इस प्रकार से सौदेवाजी की एक नई राजनीति का प्रचलन हुआ है।''

उपर्युक्त शौध अध्ययन से स्पष्ट हो रहा है कि पंचायती राज का विकास व ग्रामीण विकास हुआ है और इसके साथ ही समय–समय पर पंचायती राज के विकास व ग्रामीण विकास पर शोध अध्ययन कार्य होता रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

पंचायती राज के इस अध्ययन के पीछे जो उद्देश्य है वह इस प्रकार है –

1. पंचायती राज के अर्थ एवं स्वरुप की जानकारी प्राप्त करना।
2. पंचायती राज के इतिहास का अध्ययन करना।
3. पंचायती राज की विकास यात्रा में हुये नव निर्माण का अध्ययन करना।
4. पंचायती राज के विकास के साथ–साथ हुये ग्रामीण विकास का अध्ययन करना।

पंचायती राज का इतिहास

पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में इसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज अपने देश में कोई नवीन परिकल्पना नहीं है बल्कि यह प्राचीन काल से ही मानव का हिस्सा है।

वैदिक कालीन भारत के ऋषि मुनियों ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर मानव समाज की सुख–समृद्धि के लिए जिन सिद्धान्तों की प्रतिस्थापना की थी उन्ही में से प्रशासन पद्धति का पंचायत तंत्र भी था। भारत में पंचायतो की प्राचीनता के साक्ष्य ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में मिलते हैं। पंचायत व्यवस्था को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा पृथु को है। राजा पृथु वेन के पुत्र थे, जो सर्वप्रथम राजा थे, जिन्होने धर्मपूर्वक शासन करते हुये प्रजा को प्रसन्न किया जिससे उन्हें राजा कहा जाने लगा। महर्षि वाल्मिकी के रामायण में पंचायतो का वर्णन ''जनपदों'' के नाम से आता है। महाभारत काल में भी इन संस्थाओ को पूरी स्वायत्ता प्राप्त थी। वैदिक काल से ही ग्राम को प्रशासन की एक मौलिक इकाई माना जाता रहा है। उत्तर वैदिक काल में भी एक सामूहिक राजनीतिक इकाई के रुप में हिन्दू–मुस्लिम तथा पेशवा शासन काल में ग्राम पंचायतो का विशेष महत्व रहा है। उस समय की पंचायतों को 'समिति' एवं 'सभा' कहा जाता था।

प्रचीन पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पं0 जवाहर लाल नेहरु ने लिखा है कि '' ''ग्राम प्रायः स्वतंत्र थे और उनका शासन चुनी हुई पंचायतों के पास था। विभिन्न ग्राम, सड़क निर्माण कार्य मिल कर करते थे।''

मौर्यकाल में पंचायतें ग्राम्य जीवन का ही नही अपितु समस्त भारतीय जीवन का अंग बन चुकी थी। पंचायतो के सुदृढ़ संगठन के कारण ही काफी समय तक विदेशी अपना आर्थिक प्रभुत्व जमाने में असमर्थ रहें। मुगल काल में पंचायतों की स्वायत्ता सत्ता बढी। 1951 में दिल्ली के पास एक गांव में काबुल सिंह नामक एक व्यक्ति से एक पांडुलिपि प्राप्त हुई जिसमें सम्राट अकबर के समय की पंचायती व्यवस्था का एक निश्चित तथा क्रमिक विवरण दिया गया। उस पांडुलिपि से उस समय की पंचायती राज व उनके कार्य पूर्ववत् ही थे।

पंचायती राज का विकास नव–निर्माण

भारत में पंचायतों का गठन गांधीजी की संकल्पना पर आधारित है। जिसमें उन्होंने राज्य में सबसे निचले स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की बात की थी। जिसके तहत पंचायती राज के विकास तथा नवनिर्माण में कई समितियो की सिफारिशो का योगदान रहा जो इस प्रकार है –

बलवंतराय मेहता समिति

वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कार्यो की समीक्षा व उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने नवम्बर–1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की जिसे पंचायती राज के रुप में जाना गया जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्न थी –

त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना तथा ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव के गठन के द्वारा जुड़े होने चाहिएँ।

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
2. ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति
3. जिला स्तर पर जिला परिषद्

ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रुप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रुप से चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए।

1. स्थानीय स्तर पर सभी योजना व विकास कार्य इन निकायों को दिए जाने चाहिए।
2. जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए।

समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार किया गया। 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर जिला (जयपुर– राजस्थान) देश का पहला राज्य बना जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश (1959) ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया।

अशोक मेहता समिति

वर्ष 1977 में जनता पार्टी ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु एक समिति का गठन किया जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसकी निम्न सिफारिशें है–

. त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति का द्वविस्तरीय पंचायती राज पद्धति में परिवर्तन –

1. जिला परिषद जिला स्तर पर
2. इससे नीचे मंडल पंचायती में 15000 से 20000 जनसंख्या वाले गाँवों के समूह होने चाहिए।
3. राज्य स्तर से नीचे शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए।
4. राजनीति पार्टियों की पंचायती चुनाव में अधिकारिक भागीदारी हो।
5. पंचायती राज संस्थाओं के पास क्षेत्रीय स्तर पर कराधान की अनिवार्य शक्ति हो।
6. न्याय पंचायत को विकास से अलग निकायों के रुप में रखा जाना चाहिए एवं इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाना चाहिए।
7. मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव कराए जाने चाहिए।
8. जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण।

जी.वी.के. राव समिति

वर्ष 1985 में योंजना आयोग द्वारा जी.वी.के. की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया। यह समिति इस निर्णय पर पहुची कि विकास की प्रकिया नौकरशाही से युक्त होकर पंचायती राज से अलग हो गयी है। जिसने निम्न सिफारिशें पेश की –

1. जिला व स्थनीय स्तर पर पंचायती संस्थाओ को विकास कार्यो के नियोजन, क्रियान्यवन व निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाए।
2. एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए, जिसे जिला स्तर पर सभी विकास कार्यो का प्रभारी होना चाहिए।

एल.एम. सिंघवी समिति

वर्ष 1986 में राजीव गाँधी(काग्रेस) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसकी निम्न सिफारिशें थी –

1. पंचायती राज संस्थाओ को संवैधानिक मान्यता दी जाए और इससे भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए।
2. गाँवों के समूह के लिए पंचायतो की स्थापना।
3. पंचायत को वित्त उपलब्ध कराने के लिए अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराएं जाएं।
4. पंचायतों के चुनाव, विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित विवाद निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए।

थुंगन समिति

वर्ष 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप–समिति थुंगन की अध्यक्षता में गठिन की गयी, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई सुझाव दिए–

1. पंचायती राज संस्थाओ को संवैधानिक मान्यता दी जाए।

2. त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति का गठन, जिसका 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए।
3. जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था का केन्द्र होना चाहिए तथा जिले में निर्माण व विकास योजना की संस्था के रुप में कार्य करना चाहिए।
4. पंचायतों में तीन स्तर पर जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए।
5. प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन जो पंचायती राज संस्थाओ को वित्त वितरण के लिए विधियाँ तय करेगा।

गाडगिल समिति

वर्ष 1988 में वी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति व कार्यक्रम समिति का गठन किया, जिसका कार्य इस विषय पर विचार करना था की पंचायती राज संस्थाओ को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए। जिसके प्रमुख सिफारिशें थी –

1. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए।
2. त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति का गठन, जिसका 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिएँ।
3. त्रिस्तरीय पंचायतों के तीनों स्तर पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाना चाहिएँ।
4. पंचायतों में तीन स्तर पर जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण तथा महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिएँ।
5. पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन।
6. पंचायतों को कर लगाने व वसूलने का अधिकार होना चाहिएँ।

निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक विशिष्ट स्वरुप है। इसमें पंच–परमेश्वर की अवधारणा रही है। इस अवधारणा की जड़े हमारी संस्कृति में काफी गहरी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के शासन ने पंचायतो पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाला लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक–आर्थिक विकास की जमीन तैयार हुई। 24 अप्रैल, 1993 यह ऐतिहासिक संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में यह दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रुप में मनाया जाता है, ताकि सहभागी स्थानीय स्वशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती दी जा सकें।

सरकार की सकारात्मक सोच और पहल के नतीजे से आज ऐसी पंचायतो की संख्या बढ़ रही है। जो जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ई–सक्षमता, डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण व अन्य सुविधाये जैसे विभिन्न क्षेत्रो में कार्य कर जन कल्याण हेतु योगदान एवं नव–निर्माण कर रही है। प्रभावी काम काज के लिए पंचायतो के बीच जागरुकता पैदा करने और उनके नव–निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। ग्रामीण पंचायती विकास हो रहा है क्योकि सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख अधिक प्रभावक भूमिका कर रहें है। पंचायती राज संस्थाओ के बीच प्रतिस्पर्धा और नव–निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतो को पुरस्कृत और सम्मानित करने की भी कई योजनाऐं बनाई गई है। पंचायतो को सशक्त बनाने की कोशिस में प्रौद्योगिकी के अधिकतम इस्तेमाल और उनमें जागरुकता पैदा करने व स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामोदय के संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आहन का काफी असर पड़ा है। विगत वर्षो में अगर ग्रामीण स्थानीय प्रशासन में कोई सार्थक बदलाब नहीं हुआ है तो यह मान लेना चाहिए कि ऐसे विकास के लिए योजना की स्पष्टता के साथ ईमानदारी की भी जरुरत पड़ती है। सकारात्मक नतीजों के साथ ग्रामीण भारत को नया भारत बनते देखना तभी संभव है।

पंचायती राज के माध्यम से भारत की शासन प्रणाली में एक नवीन एवं सजीव प्राण की नींव रखी जा चुकी है और इसके परिणामस्वरुप भारत की पंचायती राज व्यवस्था में उतार–चढ़ाव देखने को मिलते है।

सुझाव

वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था की सफलता व उसके अच्छे क्रियान्वयन के लिए कुछ सुझाव दिये जा सकते है–

1. पंचायती राज व्यवस्था की सार्थकता तभी संभव है जब कि हमारे भारत के गाँव अर्थिक, सामाजिक एवं वैचारिक रुप से समृद्ध हो। इस हेतु हमें योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक ढ़ाँचे में सुधार करना होगा क्योकि वर्तमान में हमारा प्रशासनिक ढ़ाँचा ही स्वार्थ में लिप्त होता प्रतीत होता है।
2. पंचायती राज की सफलता हेतु सरपंच एवं पंचो की योग्यता का निर्धारण बहुत जरुरी है। इसके अभाव मे ही आज सरपंच प्रतिनिधि की गौण अवधारणा महिलाओ के संदर्भ में हर जगह दिखाई दे रही है।
3. पंचायती राज व्यवस्था के अच्छे परिणाम हेतु सरपंच एवं पंचो को प्रशिक्षण देते हुये उन्हें उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं कार्यो के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक समझा जा रहा है।
4. गाँव का विकास ही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। इस हेतु पंचायतो को ही अर्थिक समृद्धि सम्बंधित स्वंय योजनाये बनाने हेतु अधिकार देने होगें।
5. ग्रामीण राज व्यवस्था अर्थात पंचायती राज में गुटवन्दी, भेदभाव, ऊँच–नीच, वैमनस्यता को दूर कर समाजिक समरसता का भाव पैदा करने की भी जुगत करनी होगी।

गाँधी जी ने ठीक कहा था –''यदि गाँव नष्ट होते है तो भारत भी नष्ट हो जायेगा''

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ. जोशी ओमप्रकाश (1974) ग्रामीण एवं नगरीय समाज शास्त्र, दिल्ली*
2. *सिंह कुवंर पाल (2008) कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली*
3. *डॉ. कटरिया सुरेन्द्र (2008) कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली*
4. *डॉ. मिश्रा एय. के. (2008) कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली*
5. *वेणुगोपाल जी तथा अन्नामलाई व्ही (2003) ''रिलेशनशिप विटविन पंचायती राज एण्ड कम्यूनिटि वेस्ड आग्रेनाइजेशन'' इम्पोज ऑफ कन्वर्जेशन जर्नल ऑफ रुरल डेव्लपमेंट, वॉल्यूम 22 (4) प्र. 455–486 एन आई आर डी, हैदराबाद*
6. *दरसानकार, ए.आर (1979) पंचशील प्रकाशन, जयपुर*
7. *भार्गव वी.एस. (1979) आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली*